छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2010
(फाल्गुन-18, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 09, 11, 12, 14 एवं 16 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01, 10, 13 एवं 15 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री नंदकुमार पटेल, श्री बोधराम कंवर एवं डॉ.शक्राजीत नायक अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 8 तारांकित एवं 26 अंतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) का नौवां वार्षिक प्रतिवदेन वर्ष 2009, तथा

(2) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक-एफ-10-38/2009/वाक/पांच (44-ए), दिनांक 26 दिसम्बर 2009, तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक-एफ-10-38/2009/वाक/पांच (47), दिनांक 31 दिसम्बर 2009

पटल पर रखे।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने शासन द्वारा शिक्षाकर्मियों को समय पर वेतन भुगतान न किए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.शक्राजीत नायक (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री नारायण चंदेल
(2) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
(3) श्री चैतराम साहू
(4) श्री धर्मजीत सिंह

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री महंत रामसुंदर दास
(2) श्री दीपक पटेल
(3) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
(4) श्री बोधराम कंवर
(5) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर
(6) श्री चैतराम साहू
(7) श्री भोलाराम साहू
(8) श्री संतोष बाफना
(9) श्री नारायण चंदेल

6. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय गृह मंत्री के विभागों की मांगों पर श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रविशंकर त्रिपाठी, श्रीमती अंबिका मरकाम, डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, वीरेन्द्र कुमार साहू, धर्मजीत सिंह, खेदूराम साहू,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, फूलचंद सिंह, लखमा कवासी, दीपक कुमार पटेल, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, मदनलाल साहू,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, देवजी पटेल, परेश बागबाहरा,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, रामदयाल उइके, दूजराम बौद्ध, भजन सिंह निरंकारी, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से पंचायत मंत्री की अनुदान मांगें प्रस्तुत होने एवं चर्चा प्रारंभ करने वाले एक सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

7. अध्यक्षीय उद्‌गार

यह सभा समस्त छत्तीसगढ़वासियों के विविध अपेक्षाओं का केन्द्र बिंदु है। स्वाभाविक रूप से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का आचरण, कार्य एवं व्यवहार प्रदेश को दिशा एवं गति प्रदान करता है। वस्तुतः उच्च संसदीय प्रतिमान एवं आदर्श व्यवहार के उदाहरण यदि निर्वाचित जन प्रतिनिधि स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश वासियों के साथ पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाता है। छत्तीसगढ़ विधान सभा ने पूर्व में भी सभा के गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबन जैसे अनेक उच्च संसदीय प्रतिमान स्थापित किए है। उन्हीं श्रेष्ठ एवं उच्च परम्पराओं के निरंतरता के क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री, डॉ.रमन सिंह जी, सदन के नेता के द्वारा पक्ष के समस्त सदस्यों की सम्पत्ति विवरण सदन में प्रतिवर्ष प्रस्तुत करने की घोषणा की गई । माननीय सदन के नेता की घोषणा के बाद माननीय श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी स्व-स्फूर्त सदन के नेता की घोषणा का स्वागत तथा उन्हें धन्यवाद देते हुये अपने पक्ष के सदस्यों की भी सम्पत्ति का वार्षिक विवरण बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने की घोषणा की गई, जो निश्चित रूप से सराहनीय है । छत्तीसगढ़ विधान सभा की उच्च संसदीय परम्पराओं के निरन्तर विकास एवं संवर्धन के लिये सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष की सक्रिय सहभागिता की निरन्तर आवश्यकता है ।

मैं इस स्वस्थ उच्च संसदीय पहल का स्वागत करता हूं तथा सदन के नेता एवं प्रतिपक्ष के नेता को बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

8. वक्तव्य

आदर्श पुनर्वास नीति पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

आदर्श पुनर्वास नीति पर स्वास्थ्य मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

9. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(2) श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, पंचायत एवं ग्रामीण

विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 59 एवं न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 29 प्रस्तुत की।

मांग संख्या 30 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, अमरजीत भगत, लेखराम साहू, गुरु रूद्रकुमार, भोलाराम साहू, **मांग संख्या 29 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य

के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगो और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ.हरिदास भारद्वाज भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

सायं 6.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2010 (फाल्गुन 19, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा